राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 76/2015/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वार्ड–द्वितीय, वृत–प्रथम, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स माहेश्वरी इंजीनियरिंग वर्क्स,
मुरलीपुरा, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 395/अ.प्रा.–III/वैट/जयपुर/2013–14/एम में पारित आदेश दिनांक 03.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–द्वितीय, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 48,000/– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.10.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट द्वितीय, वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वाहन संख्या आर.जे.–14–जी.ई.–6428 को दौलतपुरा टोल नाके के पास रोक कर चैक किया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल एवं वैट–47 प्रस्तुत किया। परिवहनित माल के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपर हो जाने के कारण जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया एवं नया वैट–47 प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की। पत्रावली वास्ते निस्तारण सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 48,000/– का आरोपण कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की दृष्टि से अवधिपार वैट–47 संलग्न कर माल का परिवहन किया जा रहा था, एवं कारण बताओ नोटिस के साथ नया वैट–47 संलग्न करने हेतु असमर्थता व्यक्त की। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी एवं चालान संलग्न थे, परन्तु जो घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न था, वो अवधिपार हो चुका था। **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक निर्णय अपील संख्या 2505/2011/चुरू वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम गोल्डन एक्सपोर्ट आदेश दिनांक 08.01.2013** में अवधिपार घोषणा पत्र वैट–47 को एक तकनीकी भूल माना है, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम धारा 76(6) के प्रावधानों का उल्लंघन कर करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.09.2014 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य